संलग्नक – 'क'

द्विभाषी गृह-पत्रिका के मानदंड (वर्ष 2016-17)

1. प्रतियोगिता की अवधि 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगी।
2. बैंक/वित्तीय संस्था की प्रमुख गृह-पत्रिका प्रतियोगिता के लिए पात्र होगी। प्रमुख गृह-पत्रिका उसे माना जाएगा जिसकी सर्वाधिक प्रतियां छापी जाती हों और जो बैंक/वित्तीय संस्था के केंद्रीय कार्यालय से प्रकाशित की जाती हो और जिसमें बैंकिंग विषयों पर आलेख, बैंकों द्वारा जारी किए गए निर्देश, वित्तीय संस्था की विशेष गतिविधियों के समाचार, स्थायी स्तंभों के साथ-साथ साहित्यिक रचनाओं का समावेश हो।
3. चूंकि ये पत्रिकाएं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, अत: इनमें बैंकिंग विषयों पर आलेखों, बैंक/वित्तीय संस्था में होने वाली गतिविधियों का ब्योरा तथा तत्संबंधी चित्र और कर्मचारियों की रचनाओं आदि को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। नए लेखकों की रचनाओं को शामिल कर उन्हें हिंदी में लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. केवल शुद्ध साहित्यिक लेख एवं कविताओं तथा अनूदित सामग्री से युक्त पत्रिकाओं को गृह-पत्रिका नहीं माना जाएगा।
5. चूंकि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हिंदी का ज्यादा प्रचार-प्रसार करना है, अत: इस प्रतियोगिता को ''गृह पत्रिका'' तक ही सीमित रखा जाएगा। ''आर्थिक बुलेटिन'' आदि जैसी विशिष्ट पत्रिकाओं को इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।
6. द्विभाषी गृह-पत्रिका वर्ग में निकाले जाने वाले राजभाषा विशेषांक को वरीयता दी जाएगी। राजभाषा विशेषांक एवं उसका संपादकीय सिर्फ हिंदी में या द्विभाषी हो सकता है।
7. **पत्रिका (मैगजीन) कम से कम 32 पृष्ठों की होनी चाहिए। पृष्ठों की संख्या की गणना में कवर को शामिल नहीं किया जाएगा।**
8. इस प्रतियोगिता में शामिल होनेवाली पत्रिकाओं के **कुल पृष्ठों में से कम-से-कम 20 प्रतिशत पृष्ठ अंग्रेजी में होने चाहिए।**
9. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई गृह पत्रिकाओं में से केवल एक पत्रिका (प्रमुख पत्रिका) के **सभी अंकों की छह-छह प्रतियां प्रतियोगिता के लिए भेजी जाएं।**
10. ''गृह-पत्रिका प्रतियोगिता'' में शामिल गृह-पत्रिकाओं का मूल्यांकन इस कार्य के लिए नियुक्त निर्णायक समिति करेगी। निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. मूल्यांकन का आधार पत्रिका की आवधिकता, अंकों के प्रकाशन की नियमितता, पृष्ठों की संख्या, हिंदी के पृष्ठों का प्रतिशत, संपादकीय, मुख पृष्ठ एवं भीतरी कवर पृष्ठों का उपयोग, भाषा का स्तर, शैली एवं प्रस्तुतीकरण, लेखों आदि की विविधता, मौलिकता और गुणवत्ता, मुद्रण का स्तर, साज-सज्जा (लेआउट) और प्रासंगिकता इत्यादि हैं।
12. **संपादकीय द्विभाषी होने पर पूरे अंक, केवल हिंदी में संपादकीय प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं को, (राजभाषा विशेषांक को छोड़कर) इस मद के लिए निर्धारित अंकों के 50% अंक और यदि केवल अंग्रेजी में संपादकीय हो तो शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे। संदेश को संपादकीय नहीं माना जाएगा।**
13. **निर्णायक समिति के विवेकानुसार कुछ बोनस अंक भी रखे गए हैं।**
14. मूल्यांकन की सुविधा की दृष्टि से पत्रिकाओं की आवधिकता में एकरूपता होनी चाहिए। **यदि साल में दो से कम अंक निकाले जाते हैं तो मूल्यांकन करते समय उन पर विचार नहीं किया जाएगा।** अधिक अंकों के प्रकाशनों पर वेटेज दिया जाएगा। पत्रिका के अंकों का प्रकाशन उसकी निर्धारित अवधि के 45 दिन के भीतर किया जाए और पत्रिका के पिछले पृष्ठ पर उसके प्रकाशन की तारीख भी मुद्रित की जाए।
15. **लगातार तीन वर्ष तक प्रथम पुरस्कार पाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को एक वर्ष के लिए ''कूलिंग पीरियड'' में रखा जाएगा** ताकि अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कार पाने का अवसर मिल सके।
16. विषय-वस्तु (Contents) के लिए अधिक अंक दिए जाएंगे।

हिंदी गृह-पत्रिका के मानदंड (वर्ष 2016-17)

1. प्रतियोगिता की अवधि 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगी।
2. बैंक/वित्तीय संस्था की प्रमुख हिंदी गृह-पत्रिका उसे माना जाएगा जिसकी सर्वाधिक प्रतियां छापी जाती हों और जो बैंक/वित्तीय संस्था के केंद्रीय कार्यालय से प्रकाशित की जाती हो और जिसमें बैंकिंग विषयों पर आलेख, बैंकों द्वारा जारी किए गए निर्देश, वित्तीय संस्था विशेष की गतिविधियों के समाचार, स्थायी स्तंभों के साथ-साथ साहित्यिक रचनाओं का समावेश हो।
3. चूंकि ये पत्रिकाएं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, अत: इनमें बैंकिंग विषयों पर आलेखों, बैंक/वित्तीय संस्था में होने वाली गतिविधियों का ब्योरा तथा तत्संबंधी चित्र और कर्मचारियों की रचनाओं आदि को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। नए लेखकों की रचनाओं को शामिल कर उन्हें हिंदी में लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. **केवल शुद्ध साहित्यिक लेख एवं कविताओं तथा अनूदित सामग्री से युक्त पत्रिकाओं को हिंदी गृह-पत्रिका नहीं माना जाएगा।**
5. **हिंदी गृह-पत्रिका के पृष्ठों की संख्या कम से कम 32 होनी चाहिए। पृष्ठों की संख्या की गणना में कवर को शामिल नहीं किया जाएगा।**
6. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई गृह पत्रिकाओं में से केवल एक पत्रिका (प्रमुख पत्रिका) के **सभी अंकों की छह-छह प्रतियां प्रतियोगिता के लिए मंगाई जाएंगी।**
7. ''गृह-पत्रिका प्रतियोगिता'' में शामिल गृह-पत्रिकाओं का मूल्यांकन इस कार्य के लिए नियुक्त निर्णायक समिति करेगी। निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम होगा।
8. मूल्यांकन का आधार पत्रिका की आवधिकता, अंकों के प्रकाशन की नियमितता, अंकवार पृष्ठों की संख्या, संपादकीय, मुख पृष्ठ एवं भीतरी कवर पृष्ठों का उपयोग, भाषा का स्तर, शैली एवं प्रस्तुतीकरण, लेखों, आदि की विविधता, मौलिकता और गुणवत्ता, मुद्रण का स्तर, साज-सज्जा (लेआउट) और प्रासंगिकता इत्यादि हैं।
9. **पत्रिका में संपादकीय अवश्य रखे जाएं। संपादकीय के लिए अलग से उपयुक्त अंक रखे गए हैं।**
10. **निर्णायक समिति के विवेकानुसार कुछ बोनस अंक भी रखे गए हैं।**
11. मूल्यांकन की सुविधा की दृष्टि से पत्रिकाओं की आवधिकता में एकरूपता होनी चाहिए। **यदि साल में दो से कम अंक निकाले जाते हैं तो मूल्यांकन करते समय उन पर विचार नहीं किया जाएगा।** अधिक अंकों के प्रकाशनों पर वेटेज दिया जाएगा। पत्रिका के अंकों का प्रकाशन उसकी निर्धारित अवधि के 45 दिन के भीतर किया जाए और पत्रिका के पिछले पृष्ठ पर उसके प्रकाशन की तारीख भी मुद्रित की जाए।
12. **तीन वर्ष तक लगातार प्रथम पुरस्कार पाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को एक वर्ष के लिए ''कूलिंग पीरियड'' में रखा जाएगा** ताकि अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कार पाने का अवसर मिल सके।
13. विषय-वस्तु (Contents) के लिए अधिक अंक दिए जाएंगे।